न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 45 / 2016

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 प्रेमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 2 हुकमसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 3 किशनसिंह पुत्र रूपसिंह 4 फतेहसिंह पुत्र रूपसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण भागली तहसील बाली		1 छतरसिंह पुत्र बहादुरसिंह के का0मु0 1.1 गणपतसिंह पुत्र छत्तरसिंह 1.2 श्रवणसिंह पुत्र छत्तरसिंह 1.3 जेठूसिंह पुत्र छत्तरसिंह 1.4 नारायणसिंह पत्रु छत्तरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण भागली 2 सरपंच ग्राम पंचायत पेरवा 3 तहसीलदार बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 18/12/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत पेरवा द्वारा मिसल संख्या .... / 1955 में पारित प्रस्ताव संख्या ...... दिनांक .... एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 53 दिनांक 16.10.1960 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का एक रहवासी मकान व वाडा राजपूतों के वास में ग्राम भागली ग्राम पंचायत पेरवा तहसील बाली में आया हुआ है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है एवं गत 60–70 वर्षो से प्रार्थी व प्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा है, क्योंकि उक्त भूमि बहादुरसिंह की कब्जासुदा भूमि थी एवं बहादुरसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि बलवन्तसिंह, छतरसिंह, रूपसिंह पि0 बलवन्तसिंह के कब्जे में रही एवं वर्तमान में प्रार्थीगण प्रेमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह व हुक्मसिंह पुत्र बलवन्तसिंह, किशनसिंह पुत्र रूपसिंह, फतेहसिंह पुत्र रूपसिंह सहित अप्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा एवं उपयोग उपभोग है। उक्त भूमि तीन हिस्सो में विभाजित है, जिसमें 123 हिस्सा बलवन्तसिंह के उत्तराधिकारीयों के पास एवं 1/3 हिस्सा छतरसिंह के उत्तराधिकारीयों के पास एवं शेष 1/3 हिस्सा रूपसिंह के वारिशान के पास है। अप्रार्थी श्रवणसिंह ने दिनांक 02.12.2015 को उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण मूझे मेरे पट्टासुदा भूमि पर निर्माण करने से रोक रहे है, इस पर प्रार्थीगण को जैर निगरानी पट्टे की

अति. जिला कलक्टर, पाली

जानकारी हुई। ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 18.09.1960 को आवेदन आमन्त्रित करते समय निर्धारित शुल्क, नक्शा शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क जमा नही किया एवं ग्राम पंचायत द्वारा सीधे ही मौके पर जाकर नाप किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है, जो खारिज योग्य है, क्योंकि पंचायत राज अधिनियम 1953 में प्रार्थना पत्र आमन्त्रित करने की जो प्रक्रिया बताई गई है, उसके अनुसार आबादी भूमि का ही आवेदन आमन्त्रित किया जाता है। रास्ते की भूमि का न तो ग्राम पंचायत आवेदन ले सकती है एवं न ही विक्रय कर सकती है। आदेशिका दिनांक 18.09.1960 की पालना में न तो पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं न ही मौके पर नाप चौक किया गया। मौका नक्शा सही नही बनाया गया एवं न ही पडौस अंकित किये गये। पत्रावली के संलग्न जो मौका नक्शा एवं मौका रिपोर्ट है, उस पर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर ही नही है। भूमि को विक्रय किये जाने बाबत कोई आपत्ति नोटिस जारी नही किया गया। मौके पर काबिज बहादुरसिंह के सभी उत्तराधिकारीयों के बयान भी नही लिये गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि किसी भी रूप में बहादुरसिंह की भूमि नही थी, इस कारण उक्त भूमि में प्रार्थीगण का किसी भी रूप में हिस्सा नही है। दिनांक 16.12.2015 को जो मौका रिपोर्ट बनाई हुई, वह अप्रार्थी श्रवणसिंह की अनुपस्थिति में बनाई गई। वादस्थ भूखण्ड पर एकमात्र कब्जा श्रवणसिंह का ही है। दिनांक 18.09.1960 को आवेदन आमन्त्रित करते समय निर्धारित आवेदन शुल्क, नक्शा शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क कानून के अनुसार जमा करवा दिया था। मौके पर पंचायत द्वारा नाप किये जाने का जो आदेश दिया, वह किसी भी रूप से खारिज किये जाने योग्य है। पट्टा प्राप्त करने का जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, वह रास्ते की भूमि का नही था एवं न ही पंचायत द्वारा रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि पर छत्तरसिंह का कब्जा था तथा जिस समय पट्टा बना, उस समय मौके पर पक्का मकान बना हुआ था, जो बाद में ढह गया था, जिसके कारण मोक़े पर भूखण्ड है। छत्तरसिंह की उम्र 1960 में 34 वर्ष की न होकर 64 वर्ष की थी, पट्टे का आवेदन किया, तब उस भूमि पर छत्तरसिंह अकेले का 40 वर्षो से कब्जा रहा है। पट्टा संख्या 53 व आदेश दिनांक 16.10.1960 किसी भी रूप में खारिज योग्य नही है। अप्रार्थी संख्या 2 श्रवणसिंह द्वारा पट्टासुदा भूमि पर निर्माण पंचायत की इजाजत प्राप्त कर निर्माण करवाया जा रहा है, कमठा इजाजत दिनांक 03.04.2014 व नवीनीकरण इजाजत प्राप्त की है। प्रार्थी किशनसिंह के पिता रूपसिंह ने अपना पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत पेरवा में दिनांक 14.09.2006 को पेश किया। उस प्रार्थना पत्र में पूर्व दिशा के पडौस में श्रवणसिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह का मकान बोल रहा है तथा रूपसिंह के पक्ष में पट्टा संख्या 38 दिनांक 19.08.2008 को जारी किया गया है, उस पट्टे में भी पूर्व दिशा में श्रवणसिंह पुत्र छतरसिंह का मकान अंकित है। यदि मौके पर प्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा होता, तो पडौस में प्रार्थीगण का पडौस अंकित अवश्य होता, जो नही है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही

अति. जिला कलेक्टर, पाली

करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। लिहाजा निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत पेरवा द्वारा मिसल संख्या ..../1955 में पारित प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक ... . एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 53 दिनांक 16.10.1960 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 छतरसिंह ने सरपंच ग्राम पंचायत पेरवा के समक्ष दिनांक 18.09.1960 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अपने 40 वर्षा से अधिक समय से कब्जासुदा बाडा का पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत पेरवा द्वारा दिनांक 18.09.1960 को मौका निरीक्षण कर नाप करने एवं अपने सबूत करने एवं नक्शा तैयार करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में तीन पंचो द्वारा मौका जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें वांछित भूमि पर छतरसिंह का ही 40 वर्षो से कब्जा माना तथा कब्जासुदा मकान का पट्टा बनाने की सिफारिश की है। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 09.10.1960 को पंचायत सदस्यों की रिपोर्ट पेश होने तथा नक्शा पेश करने के कारण निर्धारित शुल्क जमा कराने पर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात 16.10.1960 को राशि जमा होने पर पट्टा जारी किया गया। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए प्रार्थीगण का 1/3 – 1/3 तथा शेष 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम का होना जाहिर किया, किन्तु पुश्तैनी होने के समबन्ध में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। जहां तक इस भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के 2/3 – 1/3 हिस्सा होने का प्रश्न है, तो यहां विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि टाईटल सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नही है, इस हेतु पक्षकार को सक्षम न्यायालय के समक्ष ही चाराजोही करनी चाहिये। जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1960 में जारी किया गया है तथा पट्टा जारी करने के 56 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 868 में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "चाहे कपट भी होना कथित किया हो, अयुक्तियुक्त विलम्ब के बाद शक्ति का उपयोग नही करना चाहिये।" परिसीमा अधिनियम 1963 के आर्टिकल 137 के अनुसार जिस प्रार्थना पत्र के लिये समय सीमा निर्धारित नही है, वहां 3 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। आर0एल0आर0 2000 (2) चिमनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में भी वृहदपीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "No Period of Limitation provided either u/s 27-A of the Act or u/R272 og the Rules for exercising revisional power—Wather revisional power can be exrcised at any time – Held, when no period of limitation is provied either under Act or Rules then power has to exercised within reasonable time and reasonable time will depend upon facts and circumstances of each case " इस अनुसार युक्तियुक्त समय की संगणना प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करना प्रतिपादित किया है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जैर निगरानी पट्टे की जानकारी वर्ष 2015 में होना जाहिर किया गया है, जो स्वीकृत तथ्य नही है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी स्पष्टतया म्याद बाहर पाई जाती है। इस कारण निगरानी पोषणीय नही है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उपरोक्तानुसार स्पष्ट हो चुका है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है, इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर होने से भी पोषणीय नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत पेरवा द्वारा मिसल संख्या ..../1955 में पारित प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक ..... एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 53 दिनांक 16.10.1960 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत पेरवा का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली